के अनुसार कोई व्यक्ति अपनी कुल
आराजियात के 1/3 भाग से अधिक
की वसीयत नहीं कर सकता है। यह
सभी मुद्दे सिविल न्यायालय द्वारा
तय किए जाते हैं। अतः यह
मूलवाद आदेश 7 नियम 10 जाप्ता
दीवानी के अन्तर्गत वादी को मूल
ही लौटाया जाता है। वादी को
निर्देशित किया जाता है कि वह
इस दावे की प्रतिलिपि प्रमाणित करके
न्यायालय के रिकार्ड हेतु संधारित
करे। वादी को सलाह दी जाती है
कि वह सक्षम सिविल न्यायालय से
वसीयत तय करावे। निर्णय मजमेआम
में कोर्ट कैम्प डोकरिया तहसील अंता
में सुनाया गया। पत्रावली
मिसल बाद में सुनाया गया। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(... ...)
उप ... अन्ता
जिला ... (राज.)